



फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

बंशीधर बनाम चन्द्र प्रकाश व अन्य

केस संख्या 21 / 2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
03.03.2020	<p>दरखास्तगुजार ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 387/2019 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा. पत्र संख्या 299/2019 ब उनवानी चन्द्र प्रकाश बनाम हनुमान सहाय वगैरह में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दुवार टिप्पणी तलब हो। पत्रावली दिनांक 07.04.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर जयपुर</p>	
10-11-2020	<p>कोविड - 19 महामारी होने से दिनांक 7-4-20 से जनरल तारीख पेशी दिये जाने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हैं। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि S.D.M जयपुर दक्षिण के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री जगत राजेश्वर का अन्याय स्थापना करण हो गया है।</p> <p>सुशोभ वकील प्रार्थी को बुला गया पत्रावली का भली भाँति अवलोकन किया गया प्रार्थी को जिल पीठासीन अधिकारी से कुछ थी उनका अन्याय स्थापना करण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीतः ही प्रभाव शून्य (Infuctuous) हो गया है। फलस्वरुप यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वारिज किया जाता है। पत्रावली गठ्ठर से कम है।</p> <p style="text-align: center;"> 10/11/2020 जिला कलक्टर जयपुर</p>	